सं0 1/2266/60-2-14-2/13(15)/04

प्रेषक

सदाकान्त,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 29 सितम्बर, 2014

विषय- प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाडी केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय ,

अवगत ही हैं कि प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए अनुपूरक पोषाहार वितरण, संदर्भन आदि कार्यो हेतु विभाग के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर 188259 आंगनबाडी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन संचालित केन्द्रों में से 122932 आंगनबाडी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में संचालित है तथा अवशेष में 16552 आंगनबाडी केन्द्र विभागीय भवन, 25061 आंगनबाडी केन्द्र पंचायत/सामुदायिक केन्द्र, 23352 आंगनबाडी केन्द्र किराये के भवन तथा 100 आंगनबाडी केन्द्र कार्यकर्त्री/सहायिका के घर पर संचालित हैं।

2- अवगत कराना है कि समय-समय पर अभियान चलाकर जो आंगनबाडी केन्द्र विभागीय भवन से अलग किराये पर अथवा अन्य स्थान पर संचालित थे, उनको प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित कराया गया, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर 4 से 5 आंगनबाडी केन्द्र एक ही प्राथमिक विद्यालय में संचालित हो रहे है तथा जो आंगनबाडी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय से काफी दूरी पर संचालित थे, उन्हें भी प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाडी केन्द्र संचालन हेतु पर्याप्त जगह का अभाव देखने में मिलता है तथा बच्चों को केन्द्र पर पहुंचने में असुविधा होती है।

3- एक प्राथमिक विद्यालय में 02 से अधिक आंगनबाडी केन्द्र संचालित नहीं होना चाहिए , क्योंकि 02 से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों के लिए प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है साथ ही उस स्कूल से बच्चों के घर की दूरी बहुत अधिक हो जाती है। अत: प्राथमिक विद्यालय में निकट के आंगनबाडी केन्द्रों को ही चलाया जाय। जिन केन्द्रों की दूरी प्राथमिक विद्यालय से अधिक है तथा प्राथमिक विद्यालय में केन्द्र संचालन हेतु पर्याप्त स्थान

http://shasanadesh.up.nic.in

उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में उस केन्द्र को पास के किसी सरकारी भवन अथवा किराये के भवन में स्थानान्तरित किया जाय किसी भी दशा में आंगनबाडी केन्द्र कार्यकर्त्री/सहायिका के घर पर न संचालित किया जाय।

4- यह भी उल्लेखनीय है कि आंगनबाडी केन्द्र के भवन हेतु किराया शहरी क्षेत्र में रूपये 3000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 750/- प्रतिमाह भारत सरकार द्वारा अनुमन्य किया गया है, ऐसी स्थिति में केन्द्र के संचालन हेतु उपयुक्त भवन किराये पर मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि जनपद में उपरोक्तानुसार आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या - 2266(1)/60-2-14/तददिनॉक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ ।

2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in